FFR
Amendment - II 14(d)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2013/वैशाख 19, 1935

No. 129] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2013/VAISAKHA 19, 1935

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई , 2013

सं. 2/11(5)/03–बीईई. 4.–ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2012 का प्रारूप तारीख 9 अक्तूबर, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में संख्या 2/11(5)/03–बीईई–4, तारीख 8 अक्तूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों के जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

और, उक्त प्रारूप विनियमों की राजपत्र की प्रतियां 9 अक्तूबर, 2012 को उपर्युक्त राजपत्र में प्रकाशित की गईं थी;

और, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनसाधारण से कतिपय आपत्तियां या सुझाव प्राप्त हुए;

और प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर लिया गया;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप–धारा (2) के खंड (झ) के साथ पठित धारा 14 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप–विनियम (1) में,–

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(खक) "लेबल अवधि" से धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए तुलनात्मक ऊर्जा का उपभोग करने की विधिमान्यता अवधि अभिप्रेत है और यदि घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक की तुलनात्मक ऊर्जा का उपभोग करने की अन्तिम अवधि विनिर्दिष्ट है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा नया तुलनात्मक ऊर्जा का उपभोग करने के लिए ऊर्जा मुल्य निरूपण विनिर्दिष्ट होने तक इसे विधिमान्य समझा जाएगा;';

(ii) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:–

'(च) "स्टार रेटिंग या स्टार स्तर" से घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक की ऊर्जा दक्षता को बताने के लिए धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित ऊर्जा उपभोग के मानक पर आधारित तुलनात्मक ऊर्जा उपभोग के आधार पर घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबल पर संप्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है;';

'(छ) "व्यापारी या विक्रेता" से किसी लेबल युक्त घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के संबंध में, वह व्यक्ति जो ऐसे घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक को बेचता है या वितरित करता है और इसमें विनिर्माता, व्यापारी और अनुज्ञापत्रधारी, जिसे ऐसे घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई है, अभिप्रेत है।'।

3. मूल विनियम में, विनियम 3 के उप विनियम (1) में, खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ix) लेबल अवधि।"।

4. मूल विनियम में, विनियम 4 के विद्यमान विनियम 4 को उप विनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप विनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(2) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन पुनरीक्षित ऊर्जा उपभोग मानक के प्रारंभ को और प्रारंभ से प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि –

(क) बाजार में उपलब्ध स्टार स्तर संप्रदर्शित करने वाले लेबल सहित घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के स्टाक को प्रारंभ की तारीख से पहले बाजार से पूर्ण रूप में निष्कासित किया गया या पुनः लेबल युक्त किया गया या वापस ले लिया है;

(ख) बिक्री के लिए रखे गये घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर भी लेबल अवधि संप्रदर्शित करनी होगी, बशर्ते कि अनुज्ञापत्रधारी को ऐसे प्रारंभ से तीन मास पूर्व बाजार में घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक लाने की स्वतंत्रता होगी।

(ग) सभी प्रारंभिक उपायों, जिनमें डीलर, खुदरा व्यापारी की जागरूकता, उनके और उपभोक्ताओं के शिक्षण के लिए अपेक्षित प्रचार शामिल हैं, को सुनियोजित करना चाहिए और इस विनियम के अधीन प्रारंभ की उस तारीख से छह मास पहले करना चाहिए।

(3) जहां अनुज्ञापत्रधारी, उसके नियंत्रण से परे बाजार परिस्थितियों के कारण, उप विनियम (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने में असफल होता है और यह मानने के लिए उपभोक्ता के पास पर्याप्त आधार है कि उप विनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के बीच के आधार पर उपभोक्ता सुविचारित चयन करने में कठिनाई अनुभव करता है, तो अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो की पूर्व अनुमोदन के साथ, उप–विनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के बीच अन्तर करने के लिए अनुसूची में दर्शाए गए अभिकल्पन के अनुसार हरे रंग के लेबल पर विनियम 3 के उप विनियम (1) के खंड (vii) में निर्दिष्ट विद्युत उपभोग प्रतिवर्ष यूनिट में संप्रदर्शित करेगा।"

5. मूल विनियम के विनियम 7 में,

(i) उप विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

" (3) उप विनियम(1) के अधीन इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञा उस अवधि के लिए विधिमान्य होगी जिसके लिए धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार स्तर प्रवृत्त है।";

(ii) उप विनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(6) ऐसे अनुज्ञापत्रधारी, जो उस तारीख से जिससे पुनरीक्षित स्टार स्तर प्रवृत्त हुए हैं, घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाना जारी रखने के लिए अनुज्ञा की याचना करता है, उसे प्ररूप IV में केवल एक घोषणा करनी होगी।

(7) अनुज्ञापत्र धारी पुनः लेबल चिपकाने की अनुमति लेगा, यदि घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के एक नए मॉडल को पुनरीक्षित स्टार स्तर के समनुरूप उतारने की योजना बनाई है, तो ऐसी अनुमति के लिए पुनरीक्षित स्टार स्तरके प्रवृत्त होने से छह मास पहले आवेदन करना होगा।"।

6. मूल विनियमों के, विनियम 8 में खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(चक) अनुज्ञापत्रधारी को प्राधिकृत वितरकों, डीलरों, खुदरा व्यापारियों, विक्रेताओं, जिन्हें उनके लेबल युक्त उत्पादों को बेचने के लिए नियुक्त किया गया है, की अद्यतित सूची को अपनी वैबसाइट पर संप्रदर्शित करना होगा और प्रत्येक वर्ष, 1 अप्रैल को इसे ब्यूरो और राज्य अभिहित अभिकरणों को प्रस्तुत करना होगा।"

7. मूल विनियम के, विनियम 11 में, उप विनियम (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखे जाएंगे,–

"(4) जहां द्वितीय परीक्षण असफल होता है, वहां ब्यूरो,–

(क) अनुज्ञापत्रधारी को प्ररूप V में यह निदेश देगा कि सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचित करते हुए अनुज्ञापत्रधारी दो मास की अवधि के भीतर,–

(i) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के स्तर पर संप्रदर्शित स्टार लेबल को सही करेगा या परीक्षण के दौरान पाई गई नुक्सों और कमियों को दूर करेगा;

(ii) ब्यूरो के निदेशानुसार बाजार से सारे स्टाक को हटाएगा; और

(iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदलेगा।

(ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर किसी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलैक्ट्रानिक या किसी अन्य रीति से, जैसा उचित समझा जाए, प्रकाशित करेगा;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने के लिए संबद्ध राज्य अभिहित अभिकरणों को संसूचित करेगा;

(5) अनुज्ञापत्रधारी, उप–विनियम (4) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि की समाप्ति के दस दिन के भीतर–

(क) निदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई की बाबत ब्यूरो को प्ररूप IV में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और

(ख) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है,या किसी दिशा निर्देश के अनुपालन के बिना विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होती है, तो इसे ब्यूरो द्वारा पारित इस आशय के आदेशों और जारी किए गए निदेशों का अननुपालन समझा जाएगा।

(6) ब्यूरो, खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और उप विनियम (5) के खंड (ख) में पारित आदेशों की एक प्रति धारा 17 और उपर्युक्त खंड (ख) के अधीन पारित आदेश के प्रवर्तन कार्रवाई के प्रयोजन के लिए सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को भेजेगा।

(7) जहां अनुज्ञापत्रधारी, उप विनियम(4) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां ब्यूरो, सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचित करते हुए,–

(क) विनियम 7 के उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को प्रदत्त अनुज्ञा को वापस ले लेगा;

(ख) धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक का अनुरूप, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार करने और कार्रवाई करने के लिए खंड (क) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करने में यदि अनुज्ञापत्रधारी असफल रहता है तो इसके समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट के साथ साथ इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजेगा;

(ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर किसी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलैक्ट्रानिक या किसी अन्य तरीके से, जैसा उचित समझा जाए, प्रकाशित करेगा;

(घ) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां और शुरू करने के लिए संबध्द राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचित करेगा।";

8. मूल विनियम के, प्ररूप II में, विद्यमान पैराग्राफ 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्:–

"5. जहां स्टार स्तर की योजना की पुनर्विलोकन करने पर ब्यूरो द्वारा उपांतरित की जाती है, घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक का स्टार स्तर निम्नानुसार उपांतरित किया जाएगा:

(क) यदि नया मॉडल पुनरीक्षित स्टार स्तर के अनुरूप शुरू किया जाता है, तो नए स्टार स्तर के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास पूर्व ब्यूरो को ऐसी अनुमति के लिए एक आवेदन देना होगा;

(ख) जहां विद्यमान मॉडल को ही उपांतरित स्टार स्तर के रूप में जारी रखा जाता है, वहां प्ररूप IV में, केवल एक घोषणा ब्यूरो को प्रस्तुत करनी होगी।".

9. मूल विनियम में, प्ररूप III के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"प्ररूप IV

घोषणा

[विनियम 7(6) देखिए]

(प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत करना होगा)

(निगमित निकाय/लेबल के उपयोगकर्ता के पत्र शीर्ष पर)

तारीख :

सेवा में
महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन,
सैक्टर 1, आर के पुरम,
नई दिल्ली– 110066
भारत।

विषय : तारीख.....से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के प्रभावी स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन

1. मैं/हम घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के विनिर्माता हूं/हैं जो [कम्पनी का नाम और पूरा पता] स्टाइल के अधीन [व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] कारोबार कर रहा है/रहे हैं, घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन करता

हूं/करते हैं, जैसा कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट हैं, जिनमेंसे प्रभावी स्टार स्तर में पुनरीक्षिण किया जाएगा।

2. **विनिर्माणकारी सुविधाः** उक्त उपकरण [व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित या आयातित किया गया है और[फैक्टरी का नाम और पता]में [फैक्टरी/आयातक का नाम और पता] में विनिर्मित किया गया है या से आयात किया गया है।

3. नए स्टार स्तर से अनुरूपताः मैं/हम सारणी में परिवर्तन सारणी स्टार स्तर के पुनरीक्षण की पुष्टि करता हूं/करते हैं, जैसा कि अधिसूचना सं. का.आ.183(अ) तारीख 12 जनवरी, 2012 में घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए विनिर्दिष्ट है। उक्त उपकरण (जो पहले अनुमोदित था) के संबंध में बीईई लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमोदन की एक प्रति संलग्न हैं।

4. घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के संबंध में बीईई लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन में पुनरीक्षण के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।

5. स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार उपकरण/मॉडल के ब्यौरेः

मॉडल का नाम

विशिष्टियां	मूल्य निरूपण	
सकल मात्रा	–	
भण्डारण मात्रा	–	
तुलनात्मक विद्युत उपभोग	–	
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्तर के अनुसार)	(स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार)

6. मैं/हम स्टार लेबल प्ररूप को विद्यमान स्टार लेबल स्तर से पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर में हस्तलिखित आवेदन और ऑनलाइन वैब पोर्टल में परिवर्तन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

7. मैने उक्त घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए तारीख तक के तिमाही उत्पादन के आंकड़े और लेबलिंग शुल्क प्रस्तुत कर दिया है।

8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और निबंधनों को मानने के लिए सहमत हूं/हैं और यदि ब्यूरो द्वारा कोई जांच की जाती है तो ब्यूरो को आवश्यक सहायता/सहयोग देने के लिए सहमत हूं/हैं।

9. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों को मानने के लिए सहमत हूं/हैं।

10. मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी पूरी जानकारी के अनुसार सही है और यदि दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन को रद्द कर दिया जाए।

तारीख

दिन.....(वर्ष)
हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद नाम.....

कृते और की ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मोहर

.....

प्ररूप V

[विनियम 11(4) देखिए]

द्वितीय जांच पड़ताल में असफल होने पर अनुज्ञापत्र धारी को निदेश

नई दिल्ली तारीख 201

सेवा में

.....
.....
.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको बीईई पत्र सं. तारीख..... के अनुसार घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने की अनुमति, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों के अनुपालन के अध्यधीन दी गई थी।

2. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के अधीन जो घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक संख्या.....के सत्यापन और परीक्षण से संबंधित हैं और आपके प्राधिकृत वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी सेरूपये की कीमत पर बीजक संख्या तारीख को क्रय किया गया था और पूर्वोक्त खरीदे गए घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर आपके द्वारा चिपकाए गए पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विशिष्टियां के सत्यापन के लिए का.आ. सं.183, तारीख 12 जनवरी, 2009 के पैराग्राफ 4 के अधीन एक नमूना, ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक अभिकरण मेसर्स द्वारा उठाया गया था। मेसर्स(वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी का नाम) से अभिप्राप्त, सत्यापन अभिकरण और आपके प्रतिनिधियों के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित उठाए गए नमूने पर उकेरी गई विशिष्ट पहचान क्रम संख्या दी गई है और मेसर्स द्वारा सम्यक् रूप से सील बंद किया गया है।

3. ब्यूरो अपने पूर्वोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को मेसर्स जो का.आ.सं. 183(अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 के उपाबंध में दिए गए प्ररूप के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए तारीख 12 जनवरी, 2009 के का.आ. संख्या 183(अ) के पैराग्राफ 3 और 4 में उपदर्शित परीक्षण प्रकिया के अनुसार परीक्षण करने के लिए एक एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला है, तक लेकर गया।

4. अनन्य पहचान क्रम संख्या वाले नमूने की जांच रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। जांच रिपोर्ट के परिणाम उपदर्शित हैं कि घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के नमूने प्रत्येक वर्ष एकक में ऊर्जा उपभोग, मानक, विनिर्दिष्ट सकल मात्रा और भंडारण मात्रा आदि को पूरा करने में असफल था और आपके द्वारा विनिर्मित/आयातित घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा मांगने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप I में आपके द्वारा दिए गए जांच ब्यौरों के अनुरूप नहीं है। परीक्षण परिणाम आपके बीईई के पत्र संख्या..... तारीख द्वारा प्राधिकृत सम्पर्क व्यक्ति के नाम में आपको भेजे गए थे। एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला मेसर्स में नमूनों की द्वितीय जांच सत्यापन परीक्षण में उपस्थित होने और साक्ष्य के लिए भी आपसे अनुरोध किया गया था।

5. द्वितीय जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूना हमारे प्राधिकृत अभिकरण मेसर्स के माध्यम से का.आ संख्या 183 तारीख 12 जनवरी, 2009 के पैराग्राफ 4 के अनुसार लिया गया और हमारे प्राधिकृत अभिकरण द्वारा मेसर्स द्वारा सम्यक् रूप से मुहर बंद करके एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला तक लाया गया औरसे, सत्यापन अभिकरण के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि और आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों के अधीन प्राप्त उक्त नमूने पर उकेरी गई एक विशिष्ट पहचान क्रम संख्या दी गई।

6. एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कार्मिक द्वारा सम्यक् रूप से तैयार किए गए, जांच किए गए और प्रतिहस्ताक्षरित किए गए परीक्षण परिणाम द्वितीय परीक्षण सत्यापन रिपोर्ट में विहित हैं। परीक्षण रिपोर्ट द्वितीय जांच परीक्षण के एक साक्षी के रूप में हमारे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित भी है। परीक्षण परिणाम यह पुष्टि करते हैं कि विनिर्मित आयातित और बाजार में बेचे गए घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक का.आ. संख्या 183 (अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 में दिए गए अपेक्षित पैरामीटरों तथा मानकों और उन पर चिपकाए गए लेबल पर संप्रदर्शन के लिए विशिष्टियां आपको दी गई अनुज्ञा की शर्तों और निबंधनों को पूरा नहीं करती हैं।

7. अतः, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के उप विनियम (4) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्यूरो निदेश करता है कि–

(i) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के स्तर पर संप्रदर्शित स्टार लेबल को सही करें या परीक्षण के दौरान पाए गए नुक्स और कमियों को दूर करें;

(ii) ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टाक को हटाएं; और

(iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदलें।

8. आपको निदेशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो मास के भीतर उपर्युक्त सुधार संबंधी कार्रवाई पूरी की जाए और दो मास के अवसान के पश्चात् 10 दिन के भीतर, अर्थात्–201–तक प्ररूप V में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के उप विनियम (5) के खंड (ख) के रूप में कार्रवाई करेगा।

9. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के विनियम (4), (5), (6) और (7) के निबंधनों के अनुसार इस मामले में आगे अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

सचिव,
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. असफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

1887 GI/13-2

प्ररूप VI

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

[विनियम 11 (4) देखिए]

(कम्पनी के पत्र शीर्ष में प्रस्तुत किया जाए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ़ास्ट फ़ी प्रशीतक के लेबलों पर संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009, के विनियम 7 के उपबंधनों के अनुसरण में, हम मेसर्स घरेलू फ़ास्ट फ़ी प्रशीतकों के विनिर्माता, को मॉडल संख्या के लिए बीईई पत्र संख्या तारीख के स्टार स्तर के ऊर्जा उपभोग मानक के समनुरूप घरेलू फ़ास्ट फ़ी प्रशीतक पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ़ास्ट फ़ी प्रशीतक के लेबलों पर संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009, के विनियम 11 के उप विनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में बीईई पत्र संख्या तारीख द्वारा हमें निदेश दिए गए थे कि हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई कर ली गई है।

	निदेशित कार्रवाई	अवस्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निदेशों का अनुपालन करने के लिए घरेलू फ़ास्ट फ़ी प्रशीतक लेबल पर सही स्टार स्तर संप्रदर्शित किया जाए	हां/नहीं/लागू नहीं होता	स्टार से स्टार तक स्टार स्तर ठीक कर दिया है।
(ii)	ब्यूरो के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाजार से पूरा स्टाक हटाया जाए और	हां/नहीं/लागू नहीं होता	ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से पूरा स्टाक हटा लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदला जाए	हां/नहीं/लागू नहीं होता	हां/नहीं/लागू नहीं होता

उपर्युक्त घोषणा मेरी/हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर
नाम
पद नाम
कृते और के लिए
कम्पनी/फर्म आदि का नाम
फर्म की सील।"।

10. मूल विनियम के विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्–

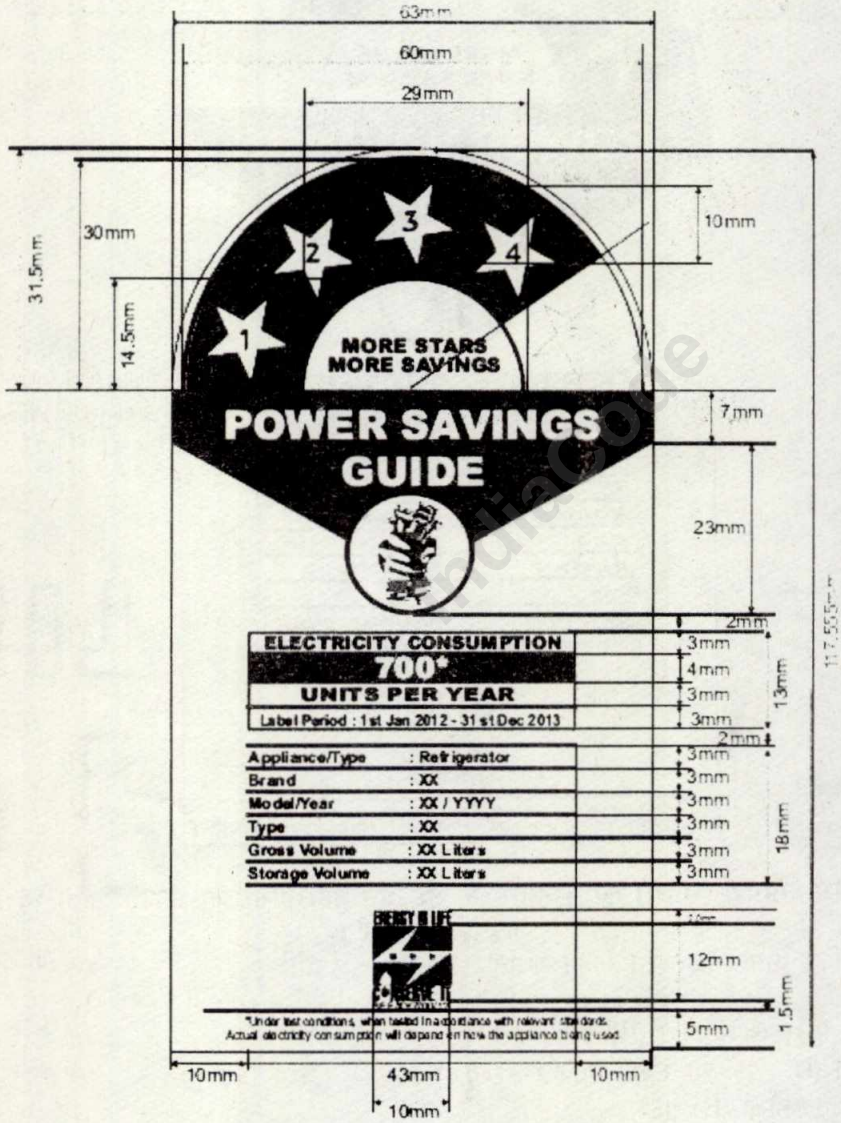
अनुसूची

[विनियम 3(2) देखिए]

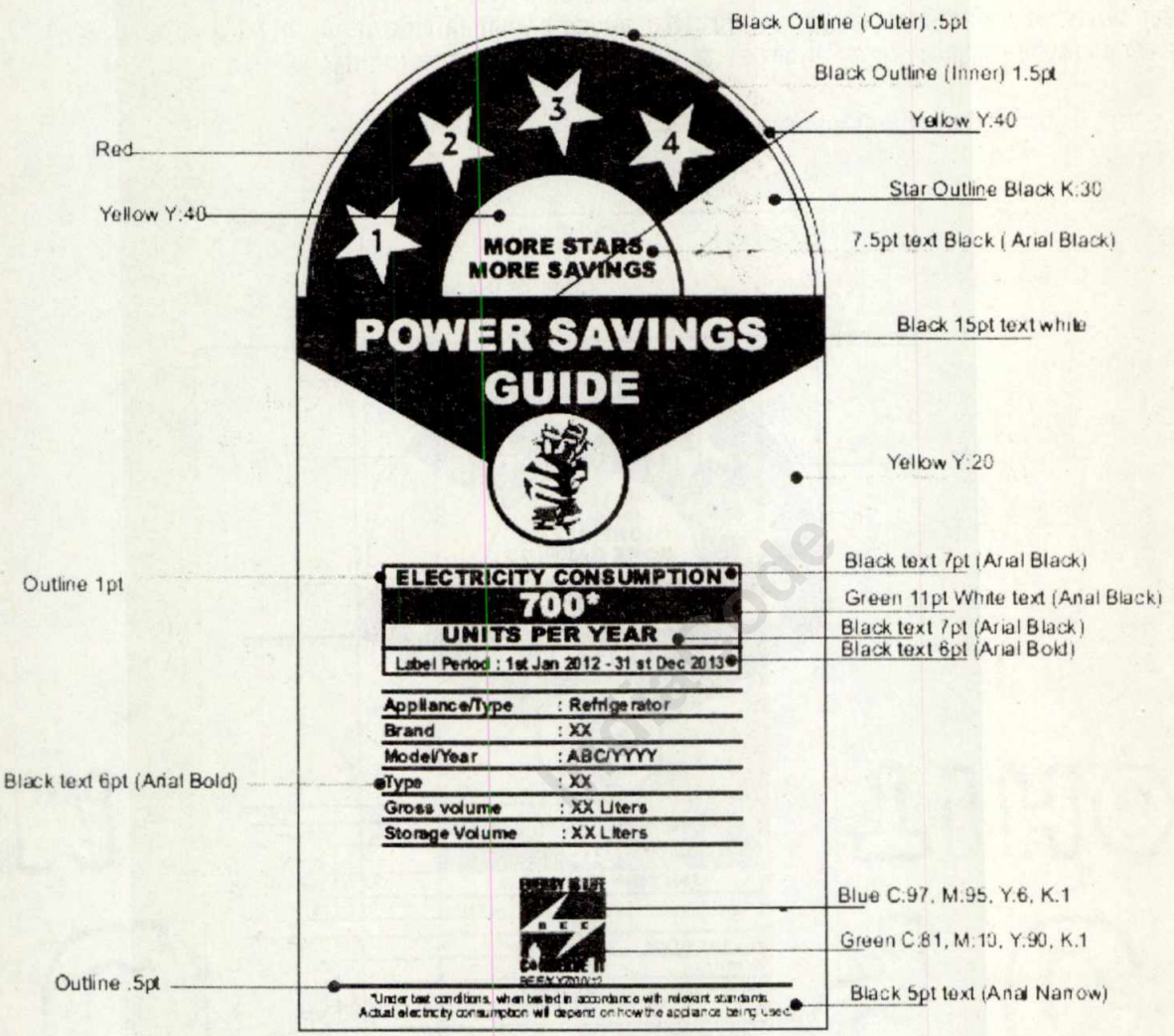
घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियों के ब्यौरे

(1) लेबल डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और लेबल की अंतर्वस्तु में यह सम्मिलित होगा।

(i) लेबल के निम्नलिखित आयामी अभिकल्पन, अर्थात्—



(ii) लेबल के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम, अर्थात्–



टिप्पण : विद्युत उपभोग संप्रदर्शन (हरा) की पृष्ठभूमि में रंग टोन वही होगा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लोगो के लिए अपनाया गया है।

(iii) ब्यूरो के लोगो के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम अर्थात्–

नीला–

रंगत (H) –239° संतृप्ति (S) : 64% द्युति (B): 59%

ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L) : 28, रंग संबंधी घटक –a:24b:54

लाल (R): 54 हरा (G): 55 नीला (B): 151

सायन (C): 97% मेजेन्टा (M): 95% पीला (Y): 6% काला (K): 1%

वेब रंग कोड –#363797

हरा

रंगत (H): 150° संतृप्ति (S) : 10% द्युति (B) 67%

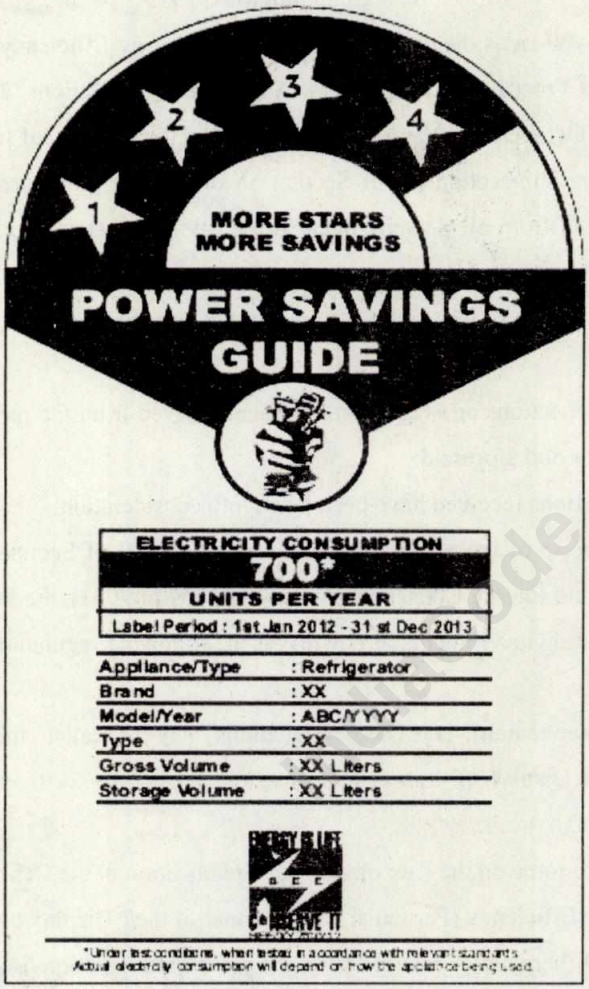
ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L) : 61, रंग संबंधी घटक –a:53b:32

लाल (R): 0 हरा (G): 170 नीला (B): 87

सायन (C): 81% मेजेन्टा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब रंग कोड – #00AA56;

(iv) निम्नलिखित घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए मुद्रित लेबल का संपूर्ण नमूना, अर्थात्:–



(2) सामग्री और आकार

लेबल टिकाऊ गत्ते का होना चाहिए, यदि इसे स्विंग टैग के रूप में संलग्न किया जाना है या स्वतः चिपकने वाला हो, और लेबल के लिए विभीय डिजाइन स्कीम में दिखाई गई रूपरेखा पर काटना होगा''।

ज्योति अरोरा, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

[विज्ञापन III/4/असाधा./187–जी/13]

पाद टिप्पण : मूल विनियम, अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 राजपत्र में भाग III, खंड 4 में संख्या 2/11(5)/03–बीईई–4, तारीख 6 जुलाई, 2009 द्वारा अधिसूचित किया गया था और इसमें संख्या 2/11(5)/03–बीईई–4, तारीख 5 जनवरी, 2010 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

1887 GI/13-3

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, 8th May, 2013

No. 2/11(5)/03-BEE-4.-Whereas the draft of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Amendment Regulations, 2012, was published vide number 2/11(5)/03-BEE-4 dated the 8th October, 2012 in Part III, section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th October, 2012, as required under sub-section (1) of Section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within thirty days from the date of publication in the Official Gazette;

And, whereas, Gazette copies of the said draft regulations were published in the aforesaid Gazette on the 9th October, 2012;

And, whereas, certain objections or suggestion has been received from the public with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

And whereas the suggestions received have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of Section 58 of the said Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.-(1)** These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Amendment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),-

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

'(ba) "label period" means the validity period of the comparative energy consumption for household frost free refrigerator specified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the comparative energy consumption for household frost free refrigerator is not specified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are specified by the Central Government;';

(ii) for clause (f), the following clauses shall be substituted, namely:—

'(f) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the household frost free refrigerator on the basis of comparative energy consumption based on the energy consumption standard notified under clause (a) of section 14 to denote the energy efficiency of the household frost free refrigerator;';

'(g) "trader or seller" in relation to any labelled household frost free refrigerator means, a person who sells or distributes any such household frost free refrigerator and includes the manufacturer, trader, and permittee given permission to affix label on such household frost free refrigerator.'.

3. In the principal regulations, in regulation 3, in sub-regulation (1),after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ix) label period.".

4. In the principal regulations, in regulation 4, the existing regulation 4 shall be renumbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

"(2) On and from the commencement of revised energy consumption standards under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee shall ensure that-

(a) the stock of household frost free refrigerators with label displaying the star level available in the market is fully exhausted or relabelled or withdrawn from the market before the date of commencement;

(b) the household frost free refrigerator put on sale shall also display label period provided that the permittee shall be at liberty to introduce the household frost free refrigerator in the market three months prior to such commencement.

(c) all the preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers shall be well planned and taken six months in advance of the date of commencement under this regulation.

(3) Where the permittee fails to ensure compliance of the provisions specified in clause (a) of sub-regulation (2), on account of market conditions beyond his control, and there are reasonable grounds to believe that the consumer would find it difficult to make a considered choice on the basis of comparative energy consumption between the household frost free refrigerator referred to in clause (a) and clause (b) of sub-regulation (2), the permittee with the previous approval of the Bureau shall display electricity consumption in units per year, referred to in clause (vii) of sub-regulation (1) of regulation 3 on the label in green colour as per design shown in the Schedule to make a distinction between the Household Frost Free Refrigerator referred to in clause (a) and clause (b) of sub-regulation (2).".

5. In the principal regulations, in regulation 7-,

(i) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for the duration for which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.";

(ii) after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely:

"(6) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the household frost free refrigerators from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration in form IV.

(7) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the household frost free refrigerators is planned to be launched synchronising with the revised star level and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.".

6. In the principal regulations, in regulation 8after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

"(fa) the permitee shall display on its web-site an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products and furnish the same to the Bureau as well as to the State Designated Agencies as on 1st April of each year,".

7. In the principal regulations, in regulation 11, for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

"(4) Where the second test fails, the Bureau shall,-

(a) direct the permittee in Form V, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee within a period of two months shall,-

(i) correct the star level displayed on the label of the household frost free refrigerators or remove the defects and deficiencies found during the testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material.

(b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;

(c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(5) The permittee within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (4) shall,-

(a) Send the compliance report in Form VI to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and

(b) in case compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(6) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (5) to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 and enforcement of order passed under the aforesaid clause (b).

(7) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (4), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,-

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14, the orders issued by the Bureau under clause (a) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 by the Central Government;

(c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner it deems fit within two months;

(d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

8. In the principal regulations, in Form II, for the existing paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"5. Where the star level plan on review is modified by the Bureau, the star level of the household frost free refrigerators shall stand modified as follows:

(a) if new model is launched synchronising with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;

(b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.".

9. In the principal regulations, after Form III, the following Forms shall be inserted, namely:—

"Form IV
DECLARATION
[Refer Regulation 7(6)]

(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body / User of Label)

Date:

To
THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066,
INDIA.

Sub: Application for permission to affix Label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 on revision of star level effective from

1. I/ We are the manufacturers of Household Frost Free Refrigerators carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on Household Frost Free Refrigerators as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on the label of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 which would go for revision of star level with effect from

1887 GI/13-4

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF FACTORY/Importer).

3. Conformance to New Star Level. I/We confirm to the revision of star level as specified in the notification number S.O. 183 (E) dated the 12th January, 2009 for Household Frost Free Refrigerators. A copy of the BEE License/certificate/approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the BEE Label (as per revision of star level change) in respect of the Household Frost Free Refrigerators is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	**Values**	
Gross Volume	--	
Storage Volume	--	
Comparative Electricity Consumption	--	
Star Rating	(As per existing label level)	(As per revision in star level)

6. I/We agree to change my star label from Existing STAR LABEL LEVEL to Revised STAR LABEL LEVEL in manual application as well as in the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said Household Frost Free Refrigerators.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and should any of the information supplied be found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year)
Signature
Name
Designation
For and on behalf of.....
.....
(Name of the firm)
SEAL OF FIRM

.....

FORM V

[Refer Regulation 11(4)]

Direction to Permittee on failure of Second Test Checking

To New Delhi, dated the.....

.....

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 you were permitted to affix label on the Household Frost Free Refrigerators vide BEE letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau under Regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 dealing with verification and Testing of the Household Frost Free Refrigerators numberpurchased from your authorised Distributor, dealer, retailer vide Invoice number dated for a price of Rs.....and lifted as a sample under paragraph 4 of the S.O.number183 dated the 12th January, 2009 by M/s.an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under Regulation 3 of the aforesaid Regulations, affixed by you on the aforesaid purchased Household Frost Free Refrigerators. The sample duly sealed by M/s..... was given Unique Identification serial number embossed on the lifted sample obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

3.The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a NABL accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3 and 4 of.S.O.number 183(E)dated the 12th January, 2009 for giving Test Report in accordance with the Form given in Annexure to S.O. number 183(E) dated the 12th January, 2009.

4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled Household Frost Free Refrigerators failed to meet the electricity consumption in units per year, standard, specified gross volume and storage volume etc. and did not conform to the Test details furnished by you in Form 1 annexed to the Application submitted by you for seeking permission to affix label on the Household Frost Free Refrigerators manufactured/imported by you. The Test Results were sent to you vide BEE letter No... dated.....in the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the NABL Accredited Laboratory M/s.....

5.The Sample for second check verification Test were picked up in accordance with paragraph 4 of S.O. number 183 dated the 12th January, 2009 through our authorised Agency M/s.and transported to the NABL

accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained from under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

6. The Test results are contained in Second Test Verification Report duly prepared checked and counter signed by the competent authorized personnel of the NABL Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O.number 183(E) dated, 12th January, 2009 and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Household Frost Free Refrigerators manufactured/imported and sold in the market .

7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (4) of Regulation 11of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009, the Bureau hereby directs to :-

(i) correct the star level displayed on the label of the Household Frost Free Refrigerators or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form V within 10 days after the expiry of two months i.e. by201... .In case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of clause (b) of sub-regulation (5) of Regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency. (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009.

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (4) (5) (6) and (7) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009.

Secretary,
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

Form VI
Action Taken Report
[Refer Regulation 11(5)]

(To be furnished on Company's letter head)

To **Dated.....**

THE SECRETARY,
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particular and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 we M/s.....the manufacturer of Household Frost Free Refrigerators were permitted to affix label on the Household Frost Free Refrigerators conforming to the energy consumption standard ofstar level vide BEE letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009, we were given directions vide BEE letter number.....dated.....and we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	correct the star level displayed on the label of the Household Frost Free Refrigerators to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star
(ii)	withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature
Name
Designation
For and on behalf of.....
Name of the Co./Firm etc
Seal of the Firm/Co.".

10. In the principal regulations, for the existing Schedule the following Schedule shall be substituted, namely:—

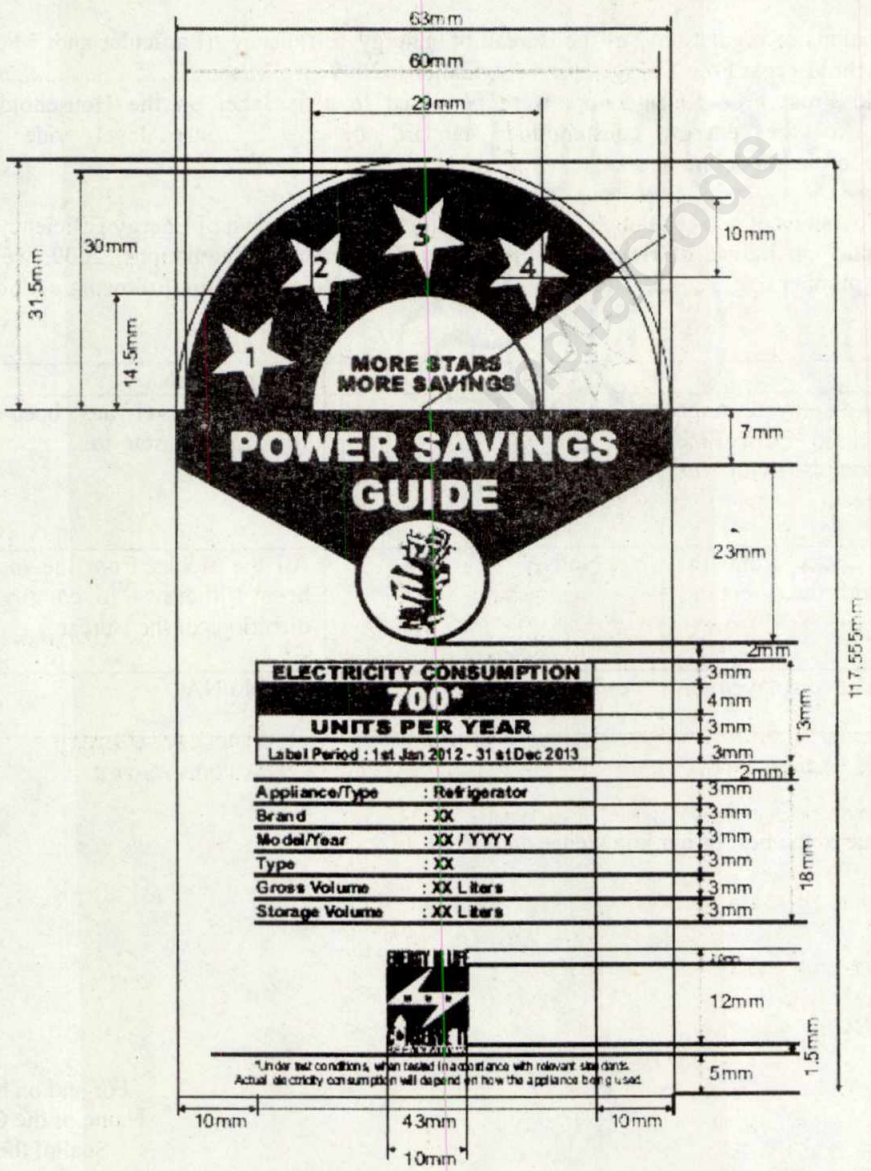
1887 GI/13-5

Schedule
[See regulation 3(2)]

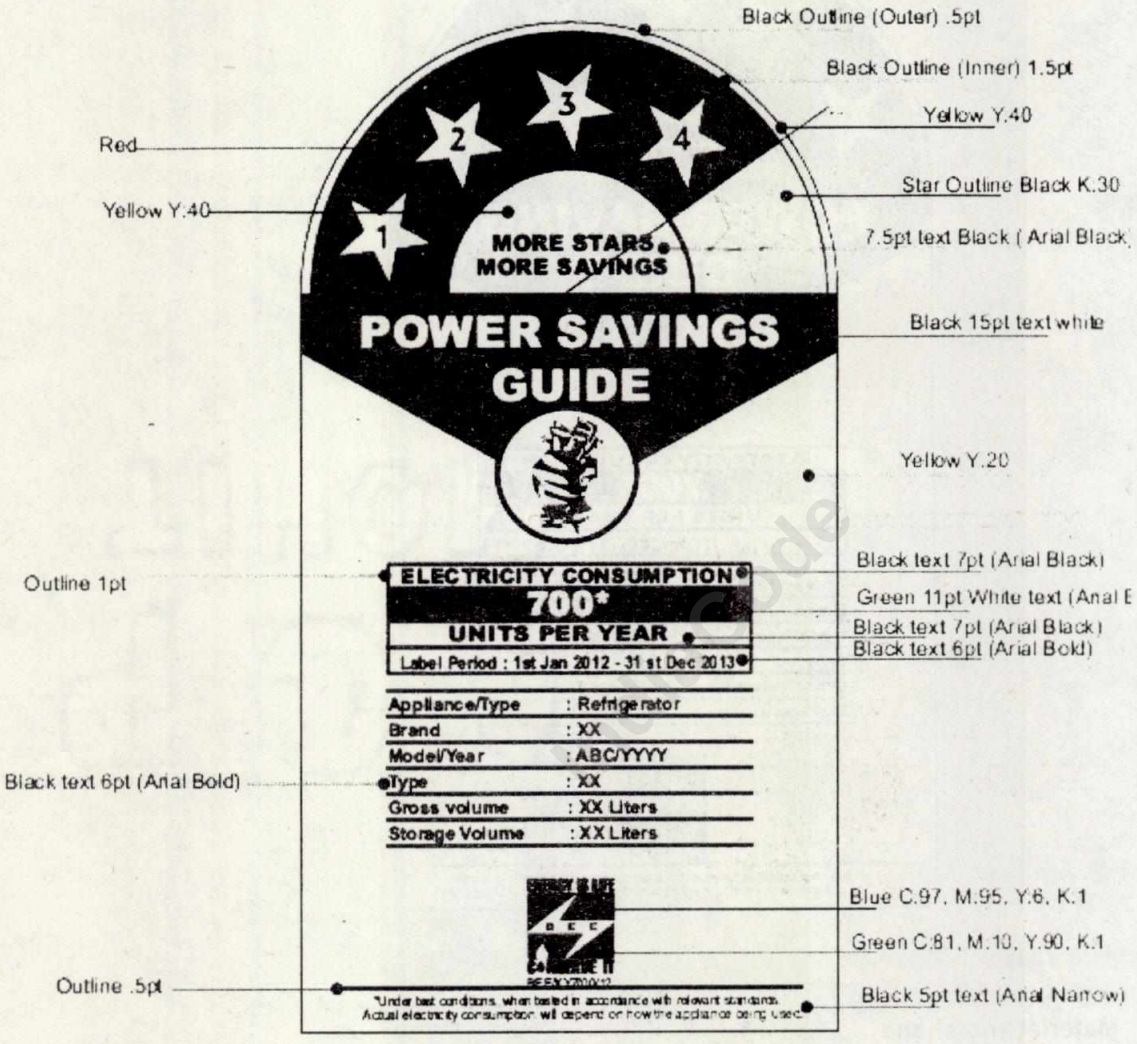
Details of particulars to be displayed on labels of household frost free refrigerators.

(1.) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include—

(i) the following dimensional design of label ,namely:—



(ii.) The following colour scheme for the label, namely:—

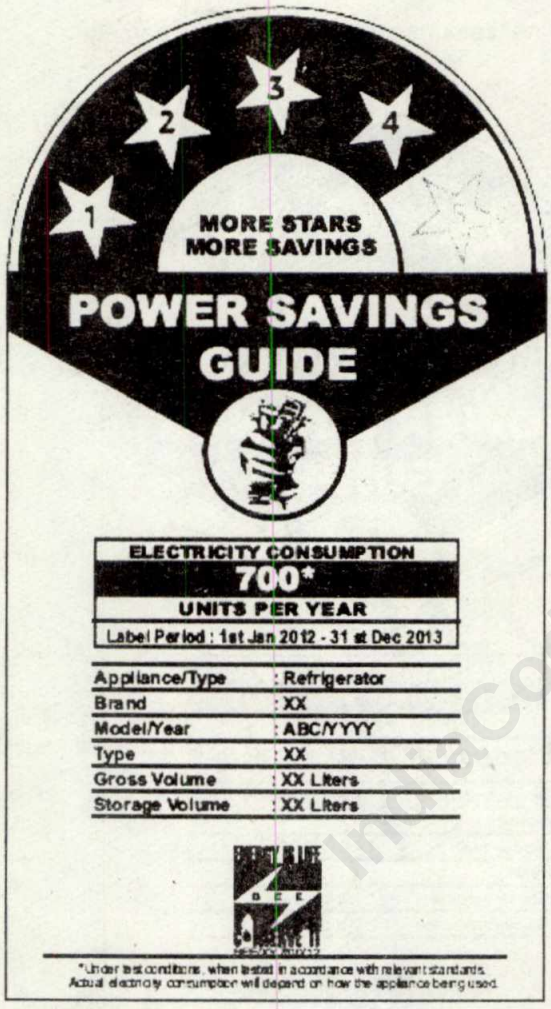


Note: The colour tone at the background of Electricity Consumption Display (Green) will be similar as followed for the Bureau of Energy Efficiency Logo.

(iii) the following colour scheme for Bureau's logo, namely:—

BLUE –
Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%
Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54
Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151
Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%
Web colour code - #363797
GREEN –
Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%
Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32
Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87
Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%
Web colour code - #00AA56;

(iv) the following complete specimen of a printed label for household frost free refrigerator, namely:—



(2). **Material and shape**

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.".

JYOTI ARORA, Director General, Bureau of Energy Efficiency
[ADVT-III/4/Exty/187-G/13]

Foot Note.-The principal regulations, namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 were notified in the official gazette in Part III, Section 4 vide number 2/11(5)/03-BEE-4, dated the 6th July, 2009 and last amended vide number 2/11(5)/03-BEE-4 dated, the 5th January, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.